

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय जी, निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र, शपथपत्र, आधारकार्ड, एवं ग्राम पंचायत-मैदा द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अनुसार प्रार्थी का नाम ग्राम- बजाजनगर की आ.नं- 4837/5029 खं.व. 0-4047 में नाबालिग हेमेश पुत्र लक्ष्मीलाल संरक्षक माता लक्ष्मीबाई के बजाय हेमेश उर्फ हितेश पुत्र लक्ष्मीलाल दर्ज लिखा जाना उचित है।

- ① शपथ-पत्र
- ② ग्र.प प्रमाणपत्र
- ③ आधारकार्ड
- ④ जमाबंदी मालका

M. नाइके  
16/8/24

रिपोर्ट  
प. नाइके

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

PT एवं RI (पीई) क्रमांक प्रार्थी के नाम संशोधन हेतु कृपया ही जाती है।

16/8/24  
तहसीलदार (भू.अ.), धासा  
जिला-बखार (राज.)

प.स.- 87/24  
निर्णय दिनांक 23/08/2024

आदेश

प्रार्थी हितेश पिता लक्ष्मीलाल द्वारा श.पत्र पेश कर प्रार्थी का नाम मौजा बजाजनगर परिवारहल्का नाहरमगरा की खाता सं. 967 में नाबालिग हेमेश पुत्र लक्ष्मीलाल संरक्षक माता लक्ष्मीबाई के बजाय हेमेश उर्फ हितेश पुत्र लक्ष्मीलाल संशोधन किया जाने का निवेदन किया। पटवारी हल्का नाहरमगरा एवं तहसीलदार धासा द्वारा रिपोर्ट पेश कर नाम संशोधन किये जाने की अनुशासना की।

अतः पटवारी हल्का नाहरमगरा, तहसीलदार धासा की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बजाजनगर परिवार हल्का नाहरमगरा की जमाबंदी सम्वत 2077-80 की खाता सं. 967 में प्रार्थी का नाम नाबालिग हेमेश पुत्र लक्ष्मीलाल संरक्षक माता लक्ष्मीबाई के बजाय हेमेश उर्फ हितेश पुत्र लक्ष्मीलाल संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार धासा को लिखा जाकर पत्रावली कैसल कुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।



उपवापद अधिकारी  
उपवापद अधिकारी  
मावली  
(एस.डी.ओ.) मावली